



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 31, 2017/ज्येष्ठ 10, 1939

No. 436]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 31, 2017/ JYAISTHA 10, 1939

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2017

सा.का.नि. 535(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) और खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय, वरिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर (समूह 'ग' पद), भर्ती नियम 2013 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल, मुख्यालय, वरिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर (समूह 'ग' पद), भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनका प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय, वरिष्ठ गेस्टेटनर ऑपरेटर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम 2013 (इसके पश्चात इन्हें उक्त नियमों के तौर पर निर्दिष्ट किया जायेगा) के नियम 2 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :-

'2, पदों की संख्या, वर्गीकरण आर वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पदों की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) स (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. उक्त नियमों की अनुसूची के-

(क) स्तंभ (4) के-

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जायेगा, अर्थात :-

' वेतन मैट्रिक्स में स्तर;

(ii) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :-

स्तर - 2 (19900-63200/- रुपये);

(ख) स्तंभ 11 के 'प्रोन्नति' उप शीर्षक के अधीन, टिप्पण-2 का लोप किया जायेगा;

[फा. सं. 17/124/2016-कार्मिक/सीसुबल]

प्रशान्त निकम, निदेशक (कार्मिक)

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 721(अ) तारीख 01 नवम्बर, 2013 द्वारा प्रकाशित किये गये थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 757(अ), तारीख 29 अक्टूबर, 2014 द्वारा संशोधित किये गये थे

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2017

G.S.R. 535(E).—In exercise of the powers, conferred by clauses (b) and (c) of sub section (2) of section 141 of the Border Security Force Act 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Border Security Force Senior Gestetner Operator Recruitment Rules 2013, namely : -

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Border Security Force, Headquarters, Senior Gestetner Operator (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force, Headquarter, Senior Gestetner Operator (Group 'C' Post) Recruitment Rules 2013 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-

"2. Number of post, classification and Level in the pay matrix.—The number of said post, its Classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules".

3. In the said rules, in the Schedule.-

(a) in column (4),-

(i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely :-

"Level in the pay matrix,";

(ii) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

"Level-2 (Rs.19900-63200/-)";

(b) in column (11), under the sub-heading "Promotion", Note 2 shall be omitted.

[F. No. 17/124/2016-Pers/BSF]

PRASHANT NIKAM, Director (Pers)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section- 3, sub- Section (1) vide notification number G.S.R. 721(E), dated the 1st November 2013 and subsequent amendment notified vide notification number G.S.R 757(E), dated 29th October, 2014.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.06.01 18:26:24 +05'30'